रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082025-265288
CG-DL-E-07082025-265288

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3540] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 7, 2025/श्रावण 16, 1947
No. 3540] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2025/SHRAVANA 16, 1947

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2025

का.आ. 3627(अ).— केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (इसमें इसके पश्चात "आयकर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के खंड (46क) के उप खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा " उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" (पैन: AAALU0160D) (इसमें इसके पश्चात " निर्धारिती " के रूप में संदर्भित) को (i) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का अधिनियम सं. 14) और (ii) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं. 6) के तहत गठित एक बोर्ड के रूप में अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2025-2026 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती (i) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का अधिनियम सं. 14) और (ii) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974

(1974 का अधिनियम सं. 6) के अंतर्गत आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उप खंड (क) में निर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के साथ गठित बोर्ड बना रहे।

[अधिसूचना सं. 130 /2025/फा. सं. 300195/34/2024-आईटीए-I(भाग)]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।